Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय- अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

दीवानी वाद संख्या 13/2017, रामस्वरूप बनाम पप्पूलाल वगैरह

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता

Date	Order with intials of Presiding Officer	Brief note of Compliance of the Order
15.01.2026	अधिवक्तागण पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किया गया है। वाद में वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार रामचन्द्र व छोटूलाल ने सुनीलदत्त शर्मा को दिनांक 19.12.2017 को उपपंजीयक कनवास में करवादी है जो पूर्व विक्रय पत्र ही नल एण्ड वोईड होने से उनके आधार पर सुनील दत्त शर्मा के पक्ष में किया गया विक्रय रजिस्टर्ड स्वतः ही निरस्तनीय होने से वोईड निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में मद नं0 9 ए में संशोधन करवाना चाहा कि "प्रतिवादी नं0 10 व 11 छोटूलाल व रामचन्द्र गुर्जर ने भी वादग्रस्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2017 को बहक सुनील दत्त शर्मा पुत्र भानुदत्त शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नंबर 2-क-3, आदर्श नगर दादाबाडी कोटा को करवादी गई है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्रेता व विक्रेता को उक्त भूमि का विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी होने पर भी विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है जो स्वतः ही लेटर स्टेज पर विक्रय होने से नल एण्ड वाईड है। अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया कि प्रार्थना पत्र 1ए इस प्रकार है कि "प्रतिवादी नं0 10 व 11 छोटूलाल व रामचन्द्र गुर्जर ने भी वादग्रस्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2017 को बहक सुनील दत्त शर्मा पुत्र भानुदत्त शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नंबर 2-क-3, आदर्श नगर दादाबाडी कोटा को विक्रय की रजिस्ट्री करवादी गई है, को भी नल एण्ड वोईड अप्रभावशील व निरस्त की जावे साथ ही इकरारनामा के आधार पर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाये, प्रतिवादीगण पालना नहीं करे तो न्यायालय के द्वारा बैचान की रजिस्ट्री वादी के पक्ष में करावे तथा इकरारनामें के बाद के समस्त इन्तकाल भी निरस्त वोईड घोषित किया जावे। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुवसार संशोधन वाद पत्र में किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलाई गई।	

न्यायालय- अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (

दीवानी वाद संख्या 13/2017, रामस्वरूप बनाम पप्पूलाल वगैरह
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र लिखित में प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराया जबकि अप्रार्थी प्रतिवादी की ओर से बहस में विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान के तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व खातेदार रामचन्द्र व छोटूलाल द्वारा सुनील दत्त शर्मा को किये गये बैचान के संदर्भ में संशोधन करवाना चाहा है। संशोधन वाद पत्र में व अनुतोष में करवाना चाहा है।

उक्त संदर्भ में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन मार्गदर्शन हेतु उपयोगी है- Usha Sinha vs. Dina Ram (2006)SCC 608

"18.Before one-and-half century, in Bellamy v. Sabine [(1857) 1 De G & J 566 : 44 ER 842], Lord Cranworth, L.C. proclaimed that where a litigation is pending between a plaintiff and a defendant as to the right to a particular estate, the necessities of mankind require that the decision of the court in the suit shall be binding not only on the litigating parties, but also on those who derive title under them by alienations made pending the suit, whether such alienees had or had not notice of the pending proceedings. If this were not so, there could be no certainty that the litigation would ever come to an end.

23. It is thus settled law that a purchaser of suit property during the pendency of litigation has no right to resist or obstruct execution of decree passed by a competent court. The doctrine of "lis pendens" prohibits a party from dealing with the property which is the subject- matter of suit. "Lis pendens" itself is treated as constructive notice to a purchaser that he is bound by a decree to be entered in the pending suit. Rule 102, therefore, clarifies that there should not be resistance or obstruction by a transferee pendente lite. It declares that if the resistance is caused or obstruction is offered by a transferee pendente lite of the judgment- debtor, he cannot seek benefit of Rules 98 or 100 of Order 21."

Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय- अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

दीवानी वाद संख्या 13/2017, रामस्वरूप बनाम पप्पूलाल वगैरह

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दावे के दौरान अगर कोई विक्रय किया जाता है तो वह Lis-Pendens के संशोधन के तहत माना जावेगा तथा वह हस्तगत न्यायालय के हस्तगत वाद के निर्णय से पाबन्द होगा। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ पश्चातवर्ती क्रेता हस्तगत न्यायालय के निर्णय से पाबंद होगा तो अनुतोष में संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः पश्चातवर्ती विक्रय का इन्द्राज सुविधा की दृष्टि को देखते हुये दावे में किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी में चाहा गया संशोधन उक्तानुसार स्वीकृत किया जाता है।

"प्रतिवादी नं0 10 व 11 छोटूलाल व रामचन्द्र गुर्जर ने भी वादग्रस्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2017 को बहक सुनील दत्त शर्मा पुत्र भानुदत्त शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नंबर 2-क-3, आदर्श नगर दादाबाडी कोटा को करवादी गई है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्रेता व विक्रेता को उक्त भूमि का विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी होने पर भी विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है जो स्वतः ही लेटर स्टेज पर विक्रय होने से नल एण्ड वाईड है।"

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते संशोधित वाद पत्र व कायमी तनकी हेतु दिनांक 17/1/16 को पेश हो।